



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शनिवार, 11 अप्रैल, 2020

चैत्र 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 595/79-वि-1-20-2(क)-5-2020

लखनऊ, 11 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2020) जिससे गोपन अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2020
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
14 सन् 1981 की
धारा 3 में संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“किन्तु मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री, माह अप्रैल, 2020 से माह मार्च, 2021 तक प्रतिमाह संदेय वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा सचिवीय भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होंगे।”

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 595(2)/LXXIX-V-1-20-2(ka)-5-2020

Dated Lucknow, April 11, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mantri (Vetan, Bhatta Aur Prakirna Upbandh) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 4 of 2020) promulgated by the Governor. The Gopan Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH MINISTERS (SALARIES, ALLOWANCES AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(U.P. Ordinance no. 4 of 2020)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India]

AN
ORDINANCE

furthur to amend the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exists which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance.

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 01 April, 2020.

Amendment in section 3 of U.P. Act no. 14 of 1981

2. In sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 the following proviso shall be inserted, namely :-

“But the Chief Minister, every Minister, Minister of State (Independent Charge) and Minister of State shall be, from April, 2020 to March, 2021, entitled to only Seventy percent of the salary, Constituency Allowance and Secretarial Allowance payable to them per month.”

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 757 राजपत्र-(हि०)-2020-(1800)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 166 सा० विधायी-2020-(1801)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।